कार्यालय जिला पंचायत, गाजीपुर
अल्पकालिक ई–टेण्डरिंग सूचना।

जिला पंचायत, गाजीपुर के पंजीकृत ठेकेदारों एवं प्रमुख सचिव पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–05/2019/33–2–2019–198जी/2019 लखनऊ दिनांक–16.08.2019 के अनुसार उ0प्र0 जिला पंचायत में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के साथ–साथ सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग व अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि 15वां वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष–2020–21 की धनराशि से (अनटाईड–टाईड) स्वीकृत परियोजना की निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से दिनांक– 01.01.2021 से 06.01.2021 को मध्याहन समय 12:00 बजे दिन तक सबमिट किया जायेगा। समस्त शर्ते वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो आनलाईन देखा जा सकता है, जो ई–टेण्डरिंग **http://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है जिसे ऑनलाइन **http://etender.up.nic.in** पर ही सबमिट किया जायेगा तथा प्राप्त ई–टेण्डरिंग की टेक्निकल बिड दिनांक– 06.01.2021 को 02:00 बजे दिन से आनलाईन खोला जायेगा। जिन ठेकेदारों की टेक्निकल बिड अर्ह पाई जायेगी, तत्पश्चात उनकी फाईनेन्शियल बिड ई–टेण्डर की माध्यम से निविदा समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष आनलाईन खोला जायेगा। टेण्डर मूल्य के साथ जी0एस0टी0 अलग से देय होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

शर्तें

1–शासनादेश संख्या–2228/33–3–2020–39/2020 दिनांक–30.09.2020 द्वारा प्रथम बार सामान्यतः तीन या उससे अधिक टेक्नीकली क्वालिफाईड विडर्स होने चाहिए।

2–निविदा दाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ प्रपत्र (डी0डी0/एफ0डी0आर0)मूल प्रति अपर मुख्य अधिकारी गाजीपुर के कार्यालय में दिनांक–06.01.2021 को 12.00 से 02.00 बजे दिन तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है।

3– कार्य को पूर्ण करने की अवधि 03 माह तक होगी।

4– प्रत्येक निविदा के साथ निविदा शुल्क कालम नं०–6 में निर्धारित शुल्क जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, गाजीपुर के पक्ष में देय होगा अथवा जिला पंचायत, गाजीपुर के जिला निधि खाता संख्या–392702010337435 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड–यू0बी0आई0एन0539279 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कर अथवा जिला पंचायत, गाजीपुर के रोकडिया के पास जमा कर रसीद मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

5–निविदा डालने हेतु निविदा दाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य है निविदा डालने हेतु निविदा दाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइन प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं है।

6– निविदा दाता को अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत,गाजीपुर के कार्यालय में दिनांक–06.01.2021 को 02.00 बजे दिन से टेण्डर खोले जाने तक टेण्डर से सम्बन्धित समस्त मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य होगा तथा टेण्डर समिति द्वारा मूल अभिलेख मांगे जाने पर दिखाना होगा। अन्यथा की स्थिति में आपके टेण्डर पर विचार नही किया जायेगा।

7– धरोहर धनराशि किसी राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट/डाकघर द्वारा जारी एन०एस०सी०/कार्यालय में नगद जमा कर रसीद निविदा बैंक प्रपत्र में निर्धारित किसी रूप में प्रत्येक कार्य पर पृथम–पृथक मूलरूप से देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से तीन माह तक वैध होना चाहिए जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गाजीपुर के पदनाम से बन्धक होगी। निविदा दाता को निविदा के रूप में मु०–100.00 रूपये का स्टाम्प पेपर मु०–1.00 रूपया का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त एवं जी०एस०टी० प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8– जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर में निहित होगा।

9– पंजीकृत ठेकेदार को पंजीयन/नवीनीकरण की प्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।

10–अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदार से निविदा आमंत्रित किये जाने एवं न्यूनतम निविदा होने की दशा में ठेकेदार से निर्धारित शुल्क/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई–बैंकिग के माध्यम से जिलानिधि में जमा कराकर पंजीकरण एक सप्ताह में कराते हुए निविदा की शर्तो के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराकर अनुबन्ध गठित किया जायेगा।

(बलिराम),	(सुरेश कुमार),	(आशा देवी),
अभियन्ता,	अपर मुख्य अधिकारी,	अध्यक्ष,
जिला पंचायत, गाजीपुर।	जिला पंचायत, गाजीपुर।	जिला पंचायत,गाजीपुर।